

2023/988

" प्रशासन गांवों के संघ अभियान - 2023 "

प्रतिवेदन पटवारी हल्का: म३

श्रीमानजी,  
 राजस्व ग्राम म३ की जमावंदी सम्वत २०७५-७७ के खाता  
 संख्या ५६२ में प्रार्थी का नाम दाख कवर पुत्र/पुत्री/पति राजपूत  
 जाति राजपूत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी का वास्तविक नाम दाख कवर  
 पुत्र/पुत्री/पति राजपूत जाति राजपूत है। जिसके साक्ष्य के रूप में प्रार्थी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड  
 पहचान पत्र सलग है। अतः श्रीमानजी, सलग दस्तावेजों, एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का  
 नाम दाख कवर पुत्र राजपूत दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित  
 होगा।

म३  
 हस्ताक्षर पटवारी १  
५.११

जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त: म३

श्रीमानजी,  
 राजस्व ग्राम म३ की जमावंदी सम्वत २०७५-७७ के खाता  
 संख्या ५६२ में प्रार्थी का नाम दाख कवर पुत्र/पुत्री/पति राजपूत  
 जाति राजपूत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सलग दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी  
 हल्का म३ एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दाख कवर  
 पुत्र/पुत्री/पति राजपूत जाति राजपूत दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

म३  
 हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक

LR-64  
17/06/23

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार ( भू- अभिलेख ), श्रीमाधोपुर

श्रीमानजी,  
 राजस्व ग्राम म३ की जमावंदी सम्वत २०७५-७७ के खाता  
 संख्या ५६२ में प्रार्थी का नाम दाख कवर पुत्र/पुत्री/पति राजपूत  
 जाति राजपूत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सलग दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का  
म३ जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त म३ एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी  
 का नाम दाख कवर पुत्र/पुत्री/पति राजपूत जाति राजपूत दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

म३  
 तहसीलदार ( भू-अभिलेख )  
 श्रीमाधोपुर

आदेश ( शिविर स्थान: म३ ) दिनांक: 17/6/2023

जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का: म३, जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त: म३, जांच प्रतिवेदन तहसीलदार ( भू-  
 अभिलेख ), श्रीमाधोपुर तथा सलग दस्तावेज:- आधार-कार्ड, पहचान-पत्र, राशन-कार्ड के ( राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -  
 138 के अन्तर्गत ) राजस्व ग्राम: म३ के खाता संख्या: ५६२ में प्रार्थी का  
 नाम दाख कवर पुत्र राजपूत के स्थान पर दाख कवर पुत्री राजपूत दर्ज कर दुरुस्त किया जाता है।

शिविर प्रशासन गांव उप-खण्ड अधिकारी  
 उपखण्ड ( श्रीमाधोपुर )  
 पंचायत